मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–202 / 2024

1. संतपाल पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी भुरटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रोहताश पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी भुरटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

— — वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल उर्फ रामचन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी भुरटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. कविता पुत्री मोहनलाल पत्नी हरिश जाति कुम्हार निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :–04.09.2024

वादी की ओर से श्री महेश गौड अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.09.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 81/79 में कुल 2.277 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के 1/4 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 82/80 मे कुल 2.277 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के 1/4 हिस्सा एवं इसी चक के 72/67 में कुल 11.385 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल उर्फ रामचन्द्र के 1/20 हिस्सा के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर 2–ए बारानी के खाता संख्या 81/79, इसी चक के खाता संख्या 82/80 एव इसी चक के खाता संख्या 72/67 मे से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल उर्फ रामचन्द्र का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--